

14.3.2024

पत्रावली पेश हुई। कृष्णमय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 13.3.2022 अनुसार वाडी के जोर देने की सूचना अनुसार वाडी अधिकारी के वाडी के सूक्ष्म उमाण.पत्र के साथ कारिगाण के कामस मुकाम का उर्ध्व-पत्र प्रस्तुत किया जाना था। इस क्रम प्रम्वे अन्याय के बाद भी आदेशिका 14.3.2024 को भी वाडी के जोर देने का सूक्ष्म उमाण.पत्र एवं कामस मुकाम उर्ध्व-पत्र वाडी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि वाडी अधिकारी का मुकाम उर्ध्व में विधिक उक्ति पूर्ण करना उचित नहीं समझा जा रहा है। आतः उर्ध्व में कार्यवाही इसी स्टेप पर ही की जाती है। पत्रावली का तदवसील उर्ध्व प्रस्तुत है।

दिनांक 14.3.2024 को से
इजलास सुनाया गया।

उपर्युक्त अधिकारी
गौ. नि. डा.

